न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2010/00109 (08/2010) 223 आरटीएक्ट

1. चेतसिंह पुत्र निकका सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. सुखदेव कौर (फौत).

   2/1. निर्मलसिंह पुत्र चेतसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. गुरजीतसिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख नि0 भगतपुरा तह0 संगरिया
2. तेजकौर पत्नि बुटासिंह जाति जटसिख नि0 भगतपुरा तह0 संगरिया
3. नवदीपकौर पुत्री बूटासिंह जाति जटसिख नि0 भगतपुरा तह0 संगरिया
4. गुरूदत्तसिंह पुत्र निक्का सिंह जाति जटसिख नि0 भगतपुरा तह0 संगरिया
5. जीवनसिंह पुत्र निक्का सिंह जाति जटसिख नि0 भगतपुरा तह0 संगरिया
6. दर्शनसिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख नि0 भगतपुरा तह0 संगरिया
7. करनैल सिंह पुत्र जैला सिंह (फौत)

   7/1. तनासिंह उर्फ तीरासिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख नि0 भगतपुरा

   7/2. जगरूपसिंह (अविवाहित फौत)

   7/3. सरदूलसिंह उर्फ कालासिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख नि0 भगतपुरा
8. प्यारासिंह पुत्र मालीसिंह जाति जटसिख नि0 भगतपुरा (अविवाहित फौत)
9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्म्स, शाखा प्रबन्धक, दीनगढ तहसील संगरिया
10. तहसीदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ – रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26.02.2010 एवं डिक्री दिनाक 4.03.2010 द्वारा सहायक कलैक्टर, संगरिया प्र. सं. 126/2005 बअनवानी गुरजीतसिंह बनाम नवदीपकौर आदि

श्री प्रद्युमन परमार अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री महेन्द्र सिंह सन्धु अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक –23.12.2019

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि चक 1 एन टी डब्यु के खाता संख्या 5/7, 28/29 व 27/28 में मुश्तरका खाता में भूमि है। वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं वादी संख्या 2 के पति श्री बूटा सिंह का देहान्त हो चुका है उसके नाम दर्ज भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि का अच्छी मंदी के लिहाज से घरू विभाजन किया हुआ है व मुताबिक घरू विभाजन वादीगण अपने हिस्सा की आराजी पर काबिज हैं व घरू विभाजन में प्राप्त भूमि का विवरण अंकित करते हुए घरू विभाजन में प्राप्त भूमि का खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी होने के कथन कियें तथा वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप नही करवाने व निष्कासित नही करने का अनुतोष चाहा। प्रतिवादी संख्या 2 गुरदत्त सिंह ने उपस्थित होकर जवाब दावा व काउन्टर कलैम प्रस्तुत किया व कथन किये कि उक्त भूमि का घरू बंटवारा दिनांक 5.01.1993 को हुआ था जिससे सभी पक्ष विवन्धित है। प्रतिवादीसंख्या 2 ने प्रतिवादीसंख्या 4 से जरिये इकरारनामा .253 हैक्टयर भूमि खरीद की हुई है इस प्रकार प्रतिवादीसंख्या 2 को घरू बंटवारा में प्राप्त व खरीदशुद्वा कुल 1.518 हैक्टयर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे व खाता अलग कायम किया जावे। प्रतिवादीसंख्या 3 से 6 ने उपस्थित होकर जवाब दावा मय काउन्टर कलैम प्रस्तुत कर कथन किये कि वाद के कथनों से इन्कार करते हुए अपने कब्जा काश्त की भूमि का विवरण अंकित किया व खातेदारी अधिकारो की घोषणा के साथ काउन्टर कलैम में वर्णित भूमि के लिए निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा।

2. कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की जवाबदेही के आधार पर तनकीयात विरचित करने के पश्चात दोनो पक्षों की साक्ष्य ली जाकर दिनांक 4.04.208 को वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किये जाने के आदेश दिये गये तत्पश्चात तहसीलदार, संगरिया से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया व विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2010 को अन्तिम निर्णय किया गया व दिनांक 4.03.2010 को विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी की गई। अधिनस्थ न्याालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, संगरिया से प्रश्नगत भूमि के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्तुत तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये थे किन्तु तहसीलदार द्वारा मौका पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार न कर अपनी मनमर्जी अनुसार राजनीतिक दबाब में विभाजन तैयार कर प्रस्तुत किया गया है जिसपर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपतियां प्रस्तुत की गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपतियां पर सुना न जाकर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही वाद का निस्तारण कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बने नियमों का पालन नही किया गया है व बिना पालना विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था व ऐसे प्रस्ताव के अनुसार कतई डिक्री पारित नही की जा सकती। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेशनुसार तहसीलदार संगरिया द्वारा विधिनुसार मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है जो पूर्णतयः सही है व उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अपीलधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि नही है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है, अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आर टी ए का प्रस्तुत किया गया था, चूंकि पक्षकारान के दरेम्यान प्रश्नगत् भूमि के विभाजन को लेकर विवाद था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र प्राथमिक डिक्री किया गया व तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतू मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया तथा तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा दिनांक 13.01.2009 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर दिनलांक 16.02.2009 को गुरजीत सिंह आदि द्वारा आपत्तियां

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रस्तुत की गई व आपतियों में कथन किये गये कि प्रतिवादीगण के दबाब में बिना मौका देखे एकतरफा विभाजन तैयार किया गया है। गुरजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त आपति प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत नही हुआ व अधीनस्थ न्यायालय ने गुरजीत की ओर से प्रस्तुत आपति प्रार्थना–पत्र को निरस्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर कलैम व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से भिन्नता है, ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत आपति प्रार्थना–पत्र पर गहणता से मनन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2010 निरस्त पर किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों की पालना करते हुए तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर निर्णय पारित करने हतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.01.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायायल का अभिलख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी आर..ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 12:35:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: